न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 152/2019
GCMS NO. : 2019/00224

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. गोदावरी बेवा गोकलराम
2. दाखु पत्नी पोकरराम
जाति– मेघवाल, निवासी– निमाज, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राज.)।

1. ओमप्रकाश पुत्र मंगलाराम
2. भोलाराम पुत्र चौथाराम
3. रंगलाल पुत्र गेवरराम जातियान– मेघवाल, निवासीगण– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू:–11.10.2019

उपस्थितः–
1. श्री राजेन्द्र सिंह उदावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 28/07/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल संख्या एक के नाम की जमीन खसरा नम्बर 958/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा व वादी संख्या 2 की जमीन खसरा नम्बर 958/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा पटवार हल्का प्रथम ग्राम निमाज तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित है। जिस पर सायला शान्ति पूर्वक काबिज काश्त करती आ रही है जिसकी वर्तमान जमाबंदी की नकल संवत 2073 से 2076 की प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त जमीन सायला ने गेवरराम, मंगलाराम, भोला पिसरान चौथाराम कौम मेगवाल निवासी निमाज वालो से जरिए रजिस्ट्री दिनांक 14.7.2004 को खरीद की थी। उसके पश्चात सभी के खाते अलग अलग कर राजस्व रेकर्ड में अलग अलग खसरा नम्बर दर्ज कर दिये गये जिसकी रजिस्ट्री की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। वर्तमान मे उपरोक्त जमीन पर सायला ने अपने हिस्से की जमीन पर खरीब की फसल में मूंग तिल्ली जवार की फसल बो रखी है सायला के खेत के चिपते ही गैरसायलान का भी खेत आया हुआ है व आये दिन माठ आदि तोड़ देते है और सायला के साथ लडाई झगडा करते रहते है। इस वर्ष गैरसायलान ने अपने हिस्से की जमीन पर किसी प्रकार की खरीब की फसल नही बोई है जो खाली पड़ी है। सायला वृद्ध औरते है प्रतिवादीगण जवान व्यक्ति है और सायला को धमकी देते है कि उपरोक्त जमीन [illegible] रिवार वालो ने ही तुम्हारे को बैचान की है व साथ मे धमकी देते है कि फसल [illegible] लोगो ने बोई तो क्या हुआ उपरोक्त फसल पक जाने पर काट कर हम ले जायेगे। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। दिनांक 18.9.2019 को गैरसायलान व अपने साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

तीन चार और व्यक्तियों को साथ लेकर खेत मे आये उस समय सायला भी अपने खेत में कार्य कर रही थी गैरसायलान के खेत के खसरा नम्बर 958 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा है जो वर्तमान में खाली पड़ा है किसी प्रकार की फसल नही बोई हुई है गैरसायलान जिन व्यक्तियों को साथ में लेकर आये उनको सायला का खेत बताया व कहा कि यही मेरा खेत है व यही मेरी फसल है दस पन्द्रह दिन मे फसल पक जायेगी उसकी कटाई के कितने रूपये लोगे तो सायला ने मना किया कि यह खेत तो हमारा है व हमारा खाता संख्या अलग है तुम्हारा खेत जो खाली पड़ा है वह है तो भी गैरसायलान ने सायलां को ऐलानिया धमकी दी कि जिसकी लाठी उसकी भैस हमारे मे ताकत है उक्त फसल हम ही काट कर लेकर जायेगे इस कारण सायलान उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद पेश कर रही है। सायलान का प्रथम दृष्टीया मजबुत मामला है व सुविधा का सन्तुलन व बेलेन्स ऑफ कन्वीनियन्स भी सायलान के पक्ष में है सायलान अपने स्वंय की खातेदारी की जमीन पर काबिज होकर काश्त कर रहे है सायलान की जमीन के पास ही गैरसायलान की जमीन आई हुई है तथा गैरसायलान हर समय माठ को लेकर सायलान के साथ लडाई झगडा करते रहते है सायलान वृद्ध औरते है जबकि गैरसायलान संख्या मे ज्यादा है झगडालू प्रकृति के व्यक्ति है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र मय दस्तोवजात के पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा निमाज प्रथम में स्थित जमीन खसरा नम्बर 958/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 958/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा मे सायलान की फसल की बुवाई की हुई है जिसमे गैरसायलान किसी प्रकार की रोक टोक बाधा अडचन दखलनदांजी न तो स्वंय करे न इनके हाली एजेन्ट रिश्तेदार आदि करे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा के वास्ते रोका जावे व सायलान के उपयोग उपभोग मे गैरसायलान किसी प्रकार की रोक टोक बाधा नही करे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा के वास्ते रोका जावे। अन्य कोई अनुतोष सायलान के पक्ष मे हो दिलाई जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की ओर से वकालतनामा पेश किया किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र का पद सं. एक में यह तथ्य सही है कि सरहद मौजा निमाज प्रथम में वाके आराजी खसरा नम्बर 958/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 958/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि सायलान की खरीद सुदा भूमि है उक्त भूमि गैरसायलान की पुश्तैनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 958 में से सायलान ने दिनांक 14.07. 2004 को खरीद की थी तब से सायलान [illegible] 958/1 व खसरा नम्बर 958/2 की भूमि के खातेदार [illegible] के अलावा पुरा फिकरा गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान [illegible] है। प्रार्थना पत्र का पद सं. दो में वर्णित यह तथ्य सही है कि वादग्रस्त भूमि सायलान ने गैरसायलान से दिनांक 14.07.2004 को खरीद करने का कथन सही है उक्त भूमि गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 958 में से बैचान की, तब उक्त बैचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में सायलान के नाम अलग खाते में दर्ज की गई। जो खसरा नम्बर 958/1 एवं खसरा नम्बर 958/2 है। उक्त तथ्यों के अलावा पुरा फिकरा गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। प्रार्थना पत्र का पद सं. तीन में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है वर्तमान में उपरोक्त जमीन पर सायला ने अपने हिस्से की जमीन पर खरीब की फसल में मूंग तिल्ली ज्वार की फसल बोई हुई होने के कथन पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है सायला के खेत के चिपते ही गैरसायलान का खेत आने व आये दिन माठ आदि तोड देने व सायला के साथ लडाई झगडा करने के तथ्य दावा करने की गरज से झूठे आयात किये गये है जबकि गैरसायलान अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 958 रकबा 6-09 बीघा भूमि पर रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है उक्त गैरसायलान की पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर दिनांक 23.07.2017 को वादीण अनाधिकृत रूप से गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर प्रवेश कर गैरसायलान को फसल की निराई गुडाई करने से रोकने एवं गैरसायलान की खातेदारी भूमि में अवैध रूप से दखलांदाजी, बाधा पैदा करने व गैरसायलान को बेदखल करने का प्रयास करने पर गैरसायलान ने माननीय न्यायालय में राजस्व बाद सं. 165/2017 अनवान रंगलाल व अन्य बनाम धर्माराम व अन्य अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत किया गया, साथ ही धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी. का राजस्व विविध प्रा.पत्र सं. 1847/2017 प्रस्तुत किया गया, जिसमे दिनांक 12/09/2017 को उभय पक्षकार की बहस सुनी जाकर माननीय न्यायालय में अन्तरिम आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश आज दिन तक प्रभावी एवं बरकरार है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12/09/2017 के आदेश के बावजूद भी सायलान बार-बार गैरसायलान की खातेदारी भूमि में अनाधिकृत रूप से अतिचार कर गैरसायलान को फसल की बुवाई निराई-गुडाई, कटाई इत्यादि में दखलादाजी कर रहे है इस पर गैरसायलान ने सायलान के विरुद्ध पुलिस थाना जैतारण में आपराधिक कार्रवाही की, तब सायलान को धारा 107, 151 सी.आर.पी.सी. के तहत सायलान को पाबन्द किया गया गैरसायलान द्वारा सायलान को बैचान की गई भूमि खसरा नम्बर 958/1 व खसरा नम्बर 958/2 जो राजस्व नक्शा ट्रेश में इन्द्राज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर गैरसायलान की कदीमी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 958 में दखलेदांजी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उक्त तथ्यों के अलावा पुरा फिकरा गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। प्रार्थना पत्र का पद सं. चार में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। सायला वृद्ध औरते होने व गैरसायलान जवान व्यक्ति होने से सायला को धमकी देने के कथन दावा करने की गरज से झूठे आयात किये गये है बल्कि सायलान एवं सायलान के परिवारजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

संख्या में अधिक होने से गैरसायलान की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 958 में दखलांदाजी, बाधा उत्पन्न कर रहे है सायलान झगडालु प्रवृति के व्यक्ति है जो आये दिन गैरसायलान से लडाई-झगडा करने पर आमादा है इसलिए सायलान को गैरसायलान की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 958 में किसी प्रकार की दखलांदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथ्यों के अलावा पुरा फिकरा गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या पांच में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। दिनांक 18.09.2019 को गैरसायलान व अपने साथ तीन चार और व्यक्तियों को साथ लेकर खेत में आने व सायला भी अपने खेत में कार्य के कथन दावा करने की गरज से झूठे आयत किये गये है। जबकि खसरा नम्बर 958 रकबा 6-09 बीघा भूमि पर गैरसायलान की मूंग फसल बोई हुई है उक्त फसल को अवैध एवं गैरकानूनी रूप से सायलान ने चुराने का प्रयास किया, तब गैरसायलान ने पुनः सायलान के विरुद्ध पुलिस थाना जैतारण में शिकायत की, इसी रंजिश के कारण मनगढन्त तथ्यों के आधार पर सायलान ने झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 958 के कब्जा-काश्त में सायलान को दखलांदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है तथा माननीय न्यायालय में लम्बित राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 1847/2017 अनवान रंगलाल बनाम धर्माराम वगैराह में सायलान को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत पाबन्द किये जाने के बावजूद भी आदेश की जानबुझकर अवज्ञा की जा रही है। उक्त तथ्यों के अलावा पुरा फिकरा गलत व बेबुनिसाद है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर सायलान के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नहीं है जबकि वादग्रस्त आराजी गैरसायलान की पुश्तेनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी जो दिनांक 14.07.2004 को गैरसायलान ने सायलान को वैचान की, व गैरसायलान खसरा नम्बर 958 की पुश्तैनी खातेदारी भूमि पर आज दिन तक रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन गैरसायलान के पक्ष में साबित है तथा सायलान को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हो रहीं है इसलिए सायलान गैरसायलान के विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है सायलान का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:02 IST
Reason: SelfAttested

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत्

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम निमाज प्रथम स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 958/1 प्रार्थीया संख्या 01 एवं खसरा संख्या 958/2 प्रार्थीया संख्या 02 की खातेदारी आराजी है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। उक्त जमीन प्रार्थीगण द्वारा घेवरराम, मंगलाराम, भोला पि. भोला से दिनांक 14.07.2004 को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय की थी। प्रार्थीगण के पास अप्रार्थी का खेत आया हुआ है जो आये दिन माठ आदि तोड़ देता है तथा लड़ाई झगड़ा आदि पर आमादा रहता है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बेजा दखलन्दाजी करता है। जिसे रोका जाना आवश्यक है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयागण के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा संख्या 958 है जो अप्रार्थी की पैतृक आराजी है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी में से भूमि क्रय की थी जिनके खसरा संख्या 958/1 व 958/2 है। खसरा संख्या 958/1 व 958/2 का राजस्व नक्शा ट्रैस में पृथक इन्द्राज नही होने का प्रार्थीगण फायदा उठाते है तथा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 958 में दखलन्दाजी करते है अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है।

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी निमाज प्रथम के अनुसार खसरा संख्या 958/1 रकबा 04-02 बीघा में गोदावरी पत्नी गोकलराम तथा खसरा संख्या 958/2 रकबा 01-12 बीघा में दाखु पत्नी पोकरराम खातेदार दर्ज है। वही खसरा संख्या 958 रकबा 06-09 बीघा में रंगलाल, मंगला, भोला खातेदार दर्ज है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 958 की आराजी में से कुछ हिस्सा क्रय किया गया था, प्रार्थीगण खसरा संख्या 958/1 व 958/2 की आराजी के अभिलिखित खातेदार है तथा अप्रार्थी खसरा संख्या 958 का, लेकिन उक्त तीनो खसरान का भू नक्शा पर तत्समय पृथक पृथक तरमीम नही थी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य को प्रकट नही किया गया है। प्रार्थीगण चाहे तो सक्षम स्तर से नक्शे में तरमीम एवं मौके पर सीमांकन एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नही होता है अतः उक्त बिन्दू प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :- चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही पक्षकारान् के मध्य उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर विवाद की विषयवस्तु खसरा संख्या 958, 958/1 व 958/2 की भूमि का भू नक्शा में पृथक पृथक तरमीम नही होना जिससे मौके पर खेत की वास्तविक सीमा का ज्ञान नही होने से संबंधित है। अतः ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होना तथा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होनें से प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:02 IST
Reason: SelfAttested